

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 18(52) एम.ई./ग्रुप-1/11

जयपुर, दिनांक: 14-2-2014


आदेश

चिकित्सा शिक्षा के अधीन चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर एवं कोटा प्रत्येक हेतु निम्नानुसार एक समिति (कमेटी) के गठन किये जाने की प्रशासनिक आज्ञा एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. प्रधानाचार्य, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय
2. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (प्रशासनिक विभाग द्वारा मनोनीत एक सदस्य)
3. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय का लेखा संवर्ग का वरिष्ठतम अधिकारी
4. तकनीकी समिति के संयोजक
5. चिकित्सा प्रभारी अधिकारी, भण्डार शाखा
6. संबंधित चिकित्सालय के अधीक्षक


यह समिति राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 68 के अधीन एकल निविदाओं की अवस्था में तथा बोली मूल्यांकन समिति (Bid-evaluation) के किसी सदस्य की विरुद्ध (dissent) की दशा में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन में अगले उच्चतर प्राधिकारी (Next Higher Authority) के रूप में अधिकृत मानी जावेगी।

आज्ञा से,

  
(कैलाश चन्द्र राव)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मिनी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री (चिकित्सा शिक्षा)।
2. मिनी सचिव, प्रमुख शाखा सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं निदेशक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर एवं कोटा।
6. प्रमुख पत्राचार अधिकारी।

  
शासन उप सचिव

